बाल सेवा योजना

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को **बाल सेवा योजना** के तहत **प्रतिमाह 2500 रुपए** की मौद्रिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत **18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे,** जिन्होंने कोविड-19 से अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया है; पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्रति परिवार से **अधिकतम दो बच्चों** को ही मिल सकता है।
- इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीयन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को भी शामिल किया गया है, जो **23 वर्ष की आयु** के हो चुके हैं और 12वीं के बाद राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से स्नातक, तकनीकी स्नातक या राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bal-seva-yojana